



**प्रेस नोट - दिनांक 23.06.2026**

**थाना औरास, जनपद उन्नाव ।**

**उन्नाव पुलिस की बड़ी सफलता: स्वर्ण व्यवसायी से की गयी लूट का किया गया सफल अनावरण**

**तीन अभियुक्त गिरफ्तार, लूट के माल की लगभग 08 कि०ग्रा० चाँदी के जेवर व बिक्री के 4.5 लाख रुपये एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की गई बरामद**

**संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 08.06.2026 को वादी श्री प्रभात कुमार पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी ग्राम रामपुर खंजड़ी थाना औरास जनपद उन्नाव ने अपनी सीसी चौराहा पर स्थित ज्वैलरी की दुकान बन्द करके बैग में चाँदी भरे आभूषण लेकर जाते समय करीब 19.00 बजे दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार लुटेरों द्वारा चाँदी से भरा बैग छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी थी जिस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पर मु०अ०सं०- 150/2026 बनाम- 04 अज्ञात लूटेरे नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया था। जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा एसओजी, सर्विलांस व औरास पुलिस की टीम गठित कर घटना के सफल अनावरण हेतु लगाया गया था। घटनास्थल के लगभग 16 किमी की दूरी तक कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। लगाई गयी टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुये दिनांक 22.06.2024 को घटना के अनावरण के क्रम में मुखबिर के द्वारा मिली सूचना के आधार पर घटना में शामिल अभियुक्त 1. रंजीत पुत्र श्रीपाल निवासी पूरे सघंई सिंह थाना जामो जिला अमेठी, 2. चन्द्रशेखर पुत्र रामउजेर पाल ग्राम पूरे गंगा पाण्डेय थाना जगदीशपुर जिला अमेठी, लूट का सामान खरीदने वाला ज्वैलर्स 3. अशीष कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी शान्ती मार्केट थाना जगदीश पुर जिला अमेठी को देवा रोड़ पर मटियारी के आगे लखनऊ में बीआर दुबे कालोनी गुलाबी बिल्डिंग में किराये का कमरे से लूट का सामान खरीदते व बेचते समय गिरफ्तार किया गया। सुनार आशीष के पास मिले माल के बारे में पूछने पर बताया कि यह माल मैंने घटना में शामिल अन्य अभियुक्त से खरीदा था और वह अभी एक घण्टा पहले यहां से रुपया लेकर निकल गया है। कुछ माल मैंने रंजीत व चन्द्रशेखर से कुछ दिन पहले खरीदा था, इन लोगो ने आज बचा हुआ माल भी बेचने के लिए बुलाया था। गिरफ्तारशुदा रंजीत एवं चन्द्रशेखर उपरोक्त से संयुक्त रुप से पूछताछ की गयी तो दोनो ने बताया कि घटना की रेकी अभियुक्त रंजीत द्वारा करीब 05 माह पूर्व की गयी थी जिसके बाद अपने साथियो को अवगत कराया जिसके बाद अभियुक्त रंजीत व चंद्रशेखर द्वारा 03 दिन तक लगातार रेकी की गयी। दिनांक 08.06.2026 को शाम 19.00 बजे हम दोनो व दो मेरे अन्य साथी ने शीशी चौराहा से साक्षी ज्वैलर्स से सर्राफा व्यापारी जो दुकान बन्द करके अपने गाँव रामपुर खंजड़ी की तरफ जा रहा था, गाँव से कुछ दूर पहले जंगलों के पास दो मोटरसाइकिलों से हम चारो लोगो ने रोक कर जेवरात व नकदी से भरे बैग की लूट की थी। गिरफ्तारी के समय घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल UP41AJ3573 हीरो सुपर स्पेलण्डर ब्लेक रंग मौके से बरामद की गयी जिसे अभियुक्त रंजीत द्वारा बताया गय कि उक्त बाइक मेरी है। ई चालान ऐप पर चेचिस नम्बर MBLJAR037H9F52959 इंजन नम्बर JA05EGH9F54526 डाल कर चेक किया गया तो गाड़ी नम्बर UP32JJ2182 निकल कर आया। इस सम्बन्ध में अभियुक्त रंजीत उपरोक्त से पूछा गया तो बताया कि साहब हम लोग गाड़ी में नम्बर प्लेट बदलकर घटना कारित करते है जिससे हमारी मोटरसाइकिल का नम्बर दिखने के बावजूद

भी हम लोग पकड़े नहीं जाते है। बरामद मोटरसाइकिल पर गलत नम्बर प्लेट लगाने के कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

### नाम पता अभियुक्तगण –

01. रंजीत पुत्र श्रीपाल निवासी पूरे सघई सिंह थाना जामो जिला अमेठी जाति यादव उम्र करीब 37 वर्ष
02. चन्द्रशेखर पुत्र रामउजेर पाल ग्राम पूरे गंगा पाण्डेय थाना जगदीशपुर जिला अमेठी जाति गड़रिया उम्र करीब 55 वर्ष
03. आशीष कुमार उर्फ मुकेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी शान्ती मार्केट जगदीशपुर पालपुर थाना जगदीशपुर जिला अमेठी जाति कौशल उम्र करीब 34 वर्ष

### बरामदगी:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. मोटी पायल सफेद धातु 08 जोड़ी | 8. पैर बिछिया सफेद धातु 514 अदद   |
| 2. कमर पेटी सफेद धातु 10 अदद    | 9. गले का लाकेट पीली धातु 01 अदद  |
| 3. पायल सफेद धातु 80 जोड़ी      | 10. अंगूठी पीली धातु 01 अदद   |
| 4. कमर लटकन सफेद धातु 01 अदद    | 11. नगद 4,50,000 (चार लाख पचास हजार रुपये)                                |
| 5. खड्डुआ सफेद धातु 08 जोड़ी    | 12. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो सुपर स्पेलण्डर कूट रचित नम्बर प्लेट |
| 6. अंगूठी सफेद धातु 56 अदद      |   |
| 7. ब्रासलेट सफेद धातु 04 अदद    |   |

### रेकी व अपराध करने का तरीका-

1. अभियुक्तगण द्वारा ऐसी दुकानों का चयन किया जाता है जो दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित हों तथा उसमें तिजोरी न हो।
2. दुकानदार द्वारा अपने दुकान पर अपने गाँव का नाम लिखवाया जाता है जिससे पता चला जाता है कि उनके आने जाने का मार्ग क्या होगा।
3. घटना को ऐसी जगह अंजाम दिया जाता है कि भागने के लिये नहर पटरी हो या ऐसे मार्ग जिनपर सीसीटीवी कैमरे न लगे हों।
4. घटना की रेकी महीनों पहले से शुरू कर दी जाती है एवं रेकी शाम के समय ही की जाती है।
5. घटना में प्रयुक्त वाहन चोरी के होते हैं जिनपर फर्जी नंबर प्लेट लगी होती है।

### आपराधिक इतिहास-

#### अभियुक्त रंजीत कुमार यादव पुत्र श्रीपाल सिंह, नि० पूरे सघई सिंह, थाना जामो, जनपद अमेठी।

1. मु०अ०सं०-99/2007 धारा 394 IPC थाना सलोन जनपद रायबरेली
2. मु०अ०सं०-115/2007 धारा 392/506 IPC थाना सलोन जनपद रायबरेली
3. मु०अ०सं०-511/2007 धारा 394/411 IPC, 3(1) गुंडा एक्ट, 1970 जनपद थाना जायस अमेठी
4. मु०अ०सं०-575/2007 धारा 394 IPC थाना गौरीगंज जनपद अमेठी
5. मु०अ०सं०-410/2009 धारा 394 IPC थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली

- 6 मु0अ0सं0-945/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, 1986 थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली
- 7 मु0अ0सं0410/2009 धारा 394 IPC थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली
- 8 मु0अ0सं0-417/2014 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट, 307/323 IPC थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी
- 9 मु0अ0सं0-529/2014 धारा 2/3 गुंडा एक्ट, 1970 थाना कमरौली जनपद अमेठी
- 10 मु0अ0सं0-464/2014 धारा 120B/392/395/412 IPC जनपद थाना कमरौली अमेठी
- 11 मु0अ0सं0-897/2016 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, 1986 थाना मोहनगंज जनपद अमेठी
- 12 मु0अ0सं0-347/2016 धारा 392/411 IPC थाना मोहनगंज जनपद अमेठी
- 13 मु0अ0सं0-861/2017 धारा 302/394 IPC थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी
- 14 मु0अ0सं0-456/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, 1986 थाना सलोन जनपद रायबरेली
- 15 मु0अ0सं0-270/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सलोन जनपद रायबरेली
- 16 मु0अ0सं0-234/2017 धारा 120B/394/411 IPC थाना सलोन जनपद रायबरेली
- 17 मु0अ0सं0-87/2017 धारा 394/411/504/506 IPC थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली
- 18 मु0अ0सं0-157/2017 धारा 120B/392/411 IPC थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली
- 19 मु0अ0सं0-530/2017 धारा 120B/392/411 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली
- 20 मु0अ0सं0-35/2025 धारा 317(2)/318(4) BNS थाना मानकनगर जनपद कमिश्नरेट, लखनऊ

**अभियुक्त चंद्रशेखर पाल उर्फ चन्दू पुत्र रामउजेर उर्फ रामजगपाल, नि० गंगा पाण्डेयपुर, बाबूपुर सरैया, थाना जगदीशपुर, जनपद अमेठी। (गिरफ्तार)**

01. मु0अ0सं0-441/2009 — सुबेहा जनपद बाराबंकी
02. मु0अ0सं0-668/2011 धारा 307 IPC थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी
03. मु0अ0सं0-670/2011 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी
04. मु0अ0सं0-464/2014 धारा 120B/392/395/412 IPC थाना कमरौली जनपद अमेठी
05. मु0अ0सं0-469/2014 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कमरौली जनपद अमेठी
06. मु0अ0सं0-529/2014 धारा 2/3 गुंडा एक्ट, 1970 थाना कमरौली जनपद अमेठी
07. मु0अ0सं0-347/2016 धारा 392/411 IPC थाना मोहनगंज जनपद अमेठी
08. मु0अ0सं0-456/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोहनगंज जनपद अमेठी
09. मु0अ0सं0-897/2016 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, 1986 थाना मोहनगंज जनपद अमेठी
10. मु0अ0सं0-87/2017 धारा 394/411/504/506 IPC थाना जनपद नसीराबाद रायबरेली
11. मु0अ0सं0-159/2017 धारा 120B/394/411 IPC थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली
12. मु0अ0सं0-530/2017 धारा 120B/394/411 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली
13. मु0अ0सं0-861/2017 धारा 302/394 IPC थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी
14. मु0अ0सं0-456/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, 1986 थाना सलोन जनपद रायबरेली
15. मु0अ0सं0-201/2023 धारा 8/21 NDPS Act, 1985 थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर

**आशीष कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद, नि० शांति मार्केट, पालपुर, थाना जगदीशपुर, जनपद अमेठी। (गिरफ्तार)**

01. मु0अ0सं0-438/2010 धारा 323/352/506 IPC थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी
02. मु0अ0सं0-829/2010 धारा 294 IPC थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी
03. मु0अ0सं0-646/2014 धारा 324/393 IPC थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी

04. मु0अ0सं0-648/2014 धारा 392 IPC थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी
05. मु0अ0सं0-867/2014 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, 1986 थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी
06. मु0अ0सं0-381/2020 धारा 419/420 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली
07. मु0अ0सं0-224/2020 धारा 147/323/504/506 IPC थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी
08. मु0अ0सं0-313/2021 धारा 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(व) एससी/एसटी एक्ट, 323/332/353/504/506 IPC थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी

## गिरफ्तार करने वाली टीम

### एसओजी टीम-

निरीक्षक श्री जय प्रकाश यादव  
उ0नि0 श्री मंसूर अहमद  
हे0का0 आशीष मिश्रा  
का0 राहुल  
का0 गौरव चौधरी  
का0 विकास  
का0 रवि  
का0 नितीश  
का0 यशवीर

### सर्विलांस टीम

उ0नि0 श्री अतुल कुमार वर्मा  
हे0का0 सुदीप कटियार  
हे0का0 शीतांश गंगवार  
का0 प्रशान्त बालियान  
का0 आकाश चौधरी  
का0 अरुण कुमार

## थाना औरास पुलिस -

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 01. प्र0नि0 श्री संजीव कुमार | 08. का0 अमित कुमार   |
| 02. अ0नि0 श्री इरशाद अली     | 09. का0 शाहेआलम      |
| 02. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार  | 10. का0 नीलेश यादव   |
| 03. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह | 11. का0 नवीन कुमार   |
| 04. हे0का0 योगेन्द्र वर्मा   | 12. का0 निक्कू राजभर |
| 05. हे0का0 अर्जुनलाल         | 13. का0 विवेक वर्मा  |
| 07. का0 कृष्णप्रताप सिंह     |                      |

**पुरस्कार-** पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा 25000/- रुपये का नगद पुरस्कार घटना का अनवारण करने वाली टीम के लिये घोषित किया गया।